मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2010—आश्विन 23, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010

क्र. एफ-19-82-2010-एक-4.—राज्य शासन द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे, अंशदायी पेंशन योजना, 2008 के नियम, 14 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जाता है :—

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, मछली पालन विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, पशुपालन एवं कुक्कुट विभाग	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामोद्योग विभाग	सदस्य
7.	सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
8.	सचिव, सामाजिक न्याय विभाग	सदस्य
9.	संचालक, संस्थागत वित्त	सदस्य
10.	आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग	सदस्य-सचिव

2. राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने, बैंकों का निर्धारण करने, निधि प्रबंधक, प्रदाताओं को नियुक्त करने हेतु अधिकृत होंगी.

3. समिति की बैठक आवश्यकता अनुसार आहुत की जा सकेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्र. एफ-3-78-2010-दो-ए(3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 19 जुलाई 2010 को प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

रीवा संभाग

1	श्री विमलेश सिंह पन्द्रो	डिप्टी कलेक्टर
2	श्री संतोष कुमार अहिरा	राजस्व निरीक्षक
3	श्री राकेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

4	कु. स्वाती मीणा	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्री नाथूसिंह तोमर	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.

सागर संभाग

6	श्री संकेत एस. भोंड़वे	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
7	श्री मिलिन्द कुमार नागदेवे	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
8	श्री राजकुमार खत्री	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
9	कु. निमिषा जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
10	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
11	श्री रमेश कुमार जैन	नायब तहसीलदार

इन्दौर संभाग

12	श्री उदयसिंह मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
13	श्री महेन्द्र गौड़	राजस्व निरीक्षक (सश्रेय)
14	श्री ओमप्रकाश बैड़ा	राजस्व निरीक्षक
15	श्री राजेश सरवरे	राजस्व निरीक्षक
16	सुश्री माधवी नागेन्द्र	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
17	श्री गोविन्द दास रावत	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

18	श्री वीरसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
19	श्री संजय कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
20	श्रीमती निधि सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर
21	श्री प्रकाशसिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर
22	श्री आदेश राय	डिप्टी कलेक्टर
23	श्री राजेन्द्र प्रसाद सेन	राजस्व निरीक्षक
24	कु. सुरभी सोनी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

उज्जैन संभाग

25	श्री नागरगोजे मदन विभिषण	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)

भोपाल संभाग

26	कु. लता शरणागत	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
27	श्री अविनाश लवानिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
28	कु. प्रीति मैथिल	सहायक कलेक्टर
29	श्री अजय गुप्ता	सहायक कलेक्टर
30	श्री अमित तौमर	सहायक कलेक्टर
31	श्री श्रीकान्त बनोट	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
32	सुश्री प्रियंका दास	सहायक कलेक्टर
33	श्री इलैयराजा टी.	सहायक कलेक्टर
34	श्री धनुराजू एस.	सहायक कलेक्टर
35	श्री सुशील कुमार	नायब तहसीलदार
36	कु. प्रियंका पालीवाल	डिप्टी कलेक्टर
37	श्री महीप किशोर तेजस्वी	डिप्टी कलेक्टर
38	श्री मोतीलाल अहिरवार	नायब तहसीलदार
39	श्रीमती सूफ़िया फारूकी	सहायक कलेक्टर
40	श्री रजनीश कसेरा	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
41	श्री अभिषेक दुबे	डिप्टी कलेक्टर
42	श्री कृष्ण कुमार रावत	डिप्टी कलेक्टर
43	श्रीमती श्वेता पंवार	डिप्टी कलेक्टर
44	कु. वंदना मेहरा	डिप्टी कलेक्टर
45	श्री अखिलेश कुमार जैन	डिप्टी कलेक्टर
46	श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव	डिप्टी कलेक्टर
47	श्री प्रदीप जैन	डिप्टी कलेक्टर

निम्नस्तर

रीवा संभाग

1	श्री मानसिंह आर्मो	नायब तहसीलदार
2	श्री भूवनेश्वर सिंह	राजस्व निरीक्षक
3	श्री मधुकर प्रसाद पाण्डे	सहायक अधीक्षक, भू-अधि
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद मांझी	राजस्व निरीक्षक
5	श्री ललीत कुमार धार्वे	राजस्व निरीक्षक
6	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
7	श्री लालाराम सूर्यवंशी	राजस्व निरीक्षक
8	श्री रामकनेश साकेत	राजस्व निरीक्षक
9	श्री गंगाराम पनिका	राजस्व निरीक्षक
10	श्री वैद्यनाथ पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

11	श्री दर्शनलाल	राजस्व निरीक्षक
12	श्री लालसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक

13	श्री लोकमणि शाक्य	राजस्व निरीक्षक
14	श्री मुकेश कुमार दुबे	राजस्व निरीक्षक
15	श्री संतोष सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
16	श्री विश्राम शाक्य	राजस्व निरीक्षक
17	श्री महेश कुमार माहौर	राजस्व निरीक्षक
18	श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह	राजस्व निरीक्षक
19	श्री राकेश कुमार ढोड़ी	राजस्व निरीक्षक
20	श्री एस. आर. गोयल	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
21	श्री शत्रुहन सिंह चौहान	नायब तहसीलदार
22	श्री सुरेश यादव	राजस्व निरीक्षक
23	श्री विमल कुमार कुलश्रेष्ठ	राजस्व निरीक्षक
24	श्री गोपाल सिंह तौमर	राजस्व निरीक्षक
25	श्री शिवदयाल शर्मा	राजस्व निरीक्षक
26	श्री उमाशंकर अग्रवाल	राजस्व निरीक्षक
27	श्री मुन्नालाल गौड़	राजस्व निरीक्षक
28	श्री मुन्ना सिंह गुर्जर	राजस्व निरीक्षक

सागर संभाग

29	श्री बैजनाथ सिंह मरावी	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
30	श्री चन्द्र कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
31	श्री महेन्द्र प्रताप उदैनिया	राजस्व निरीक्षक
32	श्री अशोक कुमार मौर्य	राजस्व निरीक्षक
33	श्री धनीराम सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
34	श्री ललित वेद	

इन्दौर संभाग

35	श्री मोबिन खान	राजस्व निरीक्षक
36	श्री माधवसिंह रावत	अधीक्षक, भू-अभि.
37	श्री बारसिंह डुडवे	नायब तहसीलदार
38	श्री जगन्नाथ सालवे	नायब तहसीलदार
39	श्री नरेश कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
40	श्री मगनसिंह मण्डलोई	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
41	श्री सुखराम गोलकर	राजस्व निरीक्षक
42	श्री महेन्द्र कुमार बड़ोले	राजस्व निरीक्षक
43	श्री मनोहर अत्रे	राजस्व निरीक्षक
44	श्री खुमानसिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
45	श्री विजेन्द्र राठौर	राजस्व निरीक्षक
46	श्री सुरेश चन्द्र जैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
47	श्री दिलीप गंगराड़े	राजस्व निरीक्षक
48	श्री राजेश जमरा	राजस्व निरीक्षक
49	श्री रेमसिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक
50	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
51	श्री शिवाकान्त पाण्डे	राजस्व निरीक्षक
52	श्री सुनील करवरे	राजस्व निरीक्षक
53	श्री विनय मोहन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
54	श्री रमेश चौधरी	राजस्व निरीक्षक
55	श्री रमेशचन्द्र दोगने	राजस्व निरीक्षक
56	श्री दीपक कुमार गीते	राजस्व निरीक्षक
57	श्री सुन्दरलाल ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
58	श्री पुरुषोत्तम लाड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
59	श्री बालचन्द्र देवलिया	राजस्व निरीक्षक
60	श्री भगवानसिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
61	श्री ओमप्रकाश पाण्डे	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
62	श्री विनोद साहू	राजस्व निरीक्षक
63	श्री विजय उपाध्याय	राजस्व निरीक्षक
64	श्री अरविन्द पाराशर	राजस्व निरीक्षक
65	श्री रामेश्वर खेरदे	राजस्व निरीक्षक
66	श्री नंदकिशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक
67	श्री महेन्द्र सिंह बघेल	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

68	श्री नरेन्द्र कुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
69	श्री उमराव सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
70	श्री भरतलाल पाटिलकर	राजस्व निरीक्षक
71	श्री कुंजबिहारी रघुवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभि.
72	कु. सुनीता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
73	श्री जगभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक
74	श्री दुलारे लाल पटेल	राजस्व निरीक्षक

उज्जैन संभाग

75	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	नायब तहसीलदार

भोपाल संभाग

76	श्री गोपाल प्रसाद प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
77	श्री राजेश राम	राजस्व निरीक्षक
78	श्री आर. एस. इरपाचे	अधीक्षक, भू-अभिलेख
79	श्री भूपेन्द्र कुमार गोयल	डिप्टी कलेक्टर
80	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	डिप्टी कलेक्टर
81	श्री अभिषेक सिंह	सहायक कलेक्टर
82	श्री तरूण कुमार पिछोड़े	सहायक कलेक्टर
83	श्री तेजस्वी एस. नायर	सहायक कलेक्टर
84	श्री नवल किशोर प्रभाकर	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी
85	श्री राम प्रसाद नागर	राजस्व निरीक्षक
86	श्रीमती अलका सिंह	नायब तहसीलदार
87	श्री ब्रजेश सक्सेना	नायब तहसीलदार
88	श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
89	कु. नेहा भारतीय	डिप्टी कलेक्टर
90	श्री रिंकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रहास दुबे, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक) .—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1994 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालयों में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(4) के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्रीमती आराधना चौबे, जिला न्यायाधीश सागर को कुटुम्ब न्यायालय सागर में प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने की दिनांक 10 सितम्बर 2011 अथवा आगामी आदेश होने तक (जो भी पहले हो) नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(4) के अंतर्गत होगा.

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक) .—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा को मान्य करते हुये कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1994 (1994 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 सितम्बर 2010 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री आनंद मोहन खरे, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सतना को प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्तों का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3(3) के अंतर्गत होगा.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब(दो) .—राज्य शासन महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में नियुक्त शासकीय अधिवक्ता श्री विजयशंकर पाण्डे को पदोन्नत कर निम्नानुसार निश्चित पारिश्रमिक पर समन्वय से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उप महाधिवक्ता के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे :—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विजयशंकर पाण्डे	उप महाधिवक्ता	23,000/-

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब(दो) .—राज्य शासन महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में श्री एस. के. राय, अधिवक्ता को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर समन्वय से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये शासकीय अधिवक्ता के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे :—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस. के. राय	शासकीय अधिवक्ता	20,000/-

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

फा. क्र. 1(बी)-43-2004-इक्कीस-ब(दो) .—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रामनिवास सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री रूपसिंह तोमर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये मुरैना सत्र खण्ड के मुरैना राजस्व जिले के अतिरिक्त लोक अभियोजक, अम्बाह नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

संशोधन आदेश

फा. क्र. 1(सी)-23-08-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन के पत्र क्र. 2858, दिनांक 16 सितम्बर 2009 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री आदित्य अधिकारी, अधिवक्ता, जबलपुर को रु. 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 से एक वर्ष की अवधि के विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्ति के कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2010 से 8 अक्टूबर 2011 तक की कार्यकाल अभिवृद्धि की जाती है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान लोकायुक्त संगठन करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे.

(**नोट.**—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे).

संशोधन आदेश

फा. क्र. 1(सी)-23-08-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री एल. एन. सोनी, अधिवक्ता, इन्दौर जिन्हें धारा 24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, उन्हें उनकी तथा विभाग की सहमति से उनकी उक्त नियुक्ति का कार्यकाल निम्नांकित शर्त विलोपित करते हुए दिनांक 9 अक्टूबर 2010 से दिनांक 8 अक्टूबर 2011 तक की अभिवृद्धि की जाती है.

आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 में निर्धारित फीस की शर्त को उनके अतिरिक्त महाधिवक्ता का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विलोपित किया जाता है.

संशोधन आदेश

फा. क्र. 1(सी)-23-08-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन के पत्र क्र. 2858, दिनांक 16 सितम्बर 2009 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु श्री जयसिंह डी. सूर्यवंशी, अधिवक्ता, ग्वालियर को रु. 18,000/- (रु. अठ्ठारह हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है) के मासिक पारिश्रमिक पर धारा 24(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समसंख्यक आदेश दिनांक 9 अक्टूबर 2009 से एक वर्ष की अवधि के विशेष लोक अभियोजक के रूप में की गई नियुक्ति के कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2010 से 8 अक्टूबर 2011 तक की कार्यकाल अभिवृद्धि की जाती है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह बिल की राशि का भुगतान लोकायुक्त संगठन करेगा.

उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का सूचना-पत्र देकर संविदा समाप्त करने के लिये स्वतन्त्र होंगे.

(**नोट.**—विशेष लोक अभियोजक विधि विभाग नियमावली के अन्तर्गत दाण्डिक अपील व पुनरीक्षण प्रस्तुति के पूर्व अनुमति प्राप्त की गई होना सुनिश्चित करेंगे).

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-**शुद्धि-पत्र.**—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2010 की आठवीं पंक्ति में दिनांक 10-9-2011 के स्थान पर 11-9-2012 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश नायक, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-30-7-99-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश के अन्दर व बाहर वन उपज की मात्रा अनुसार दरें निर्धारित कर परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है :—

वनोपज की मात्रा	**दर (प्रति ट्रक)**
(1) दो घनमीटर तक	200/-
(2) 2 से 5 घनमीटर तक	300/-
(3) 5 घनमीटर से अधिक	400/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-30-7-99-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक-30-7-99-दस-3, दिनांक 4 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal the 4th October 2010

No.-F-30-7-99-X-3.—In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government hereby prescribes the following fee to be recoved for issue of Transit Pass for quantity of forest produce within or outside the state, as follows :—

Quantity of Forest Produce	**Amount (Per truck)**
1. Upto 2 cubic mtr.	200/-
2. 2 to 5 —"—	300/-
3. Above 5 cubic mtr.	400/-

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-25-45-2010-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई वन भूमि/बंजर भूमि पर लागू होने की घोषणा इन शर्तों के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों एवं समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूपभेदित किये जाएं, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जावेंगे :—

अनुसूची

जिला—उज्जैन, तहसील—उज्जैन, वनमंडल—उज्जैन (सामान्य), वन परिक्षेत्र—उज्जैन

क्र.	वनखण्ड का नाम	वन या/बंजर भूमि का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	सीमाऐं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोयलाखुर्द	गोयलाखुर्द (चरनोई भूमि)	147/1 भाग 147/3 भाग योग	0.794 1.247 2.041	**उत्तर.**—मोतीनगर एवं गोयलाचौकी बस्ती की दक्षिणी सीमा रेखा एवं खसरा क्रमांक 147/1 एवं 147/3 का शेष भाग. **पूर्व.**—रास्ता एवं निजी भूमि खसरा क्रमांक 147/4/1, 147/ 4/2 एवं 147/7 की पश्चिमी सीमा रेखा. **दक्षिण.**—क्षिप्रा नदी की प्राकृतिक सीमा. **पश्चिम.**—सामाजिक वानिकी की भूमि खसरा क्रमांक 143/2/1, 143/2/3 एवं 143/3/1

वनीकरण का कारण.—उक्त गैर वनभूमि गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के बदले वन विभाग को हस्तांतरण, नामांतरण एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त होने से संरक्षित वन बनाये जाने का प्रस्ताव अधिसूचना हेतु तैयार किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-25-45-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-45-2010-दस-3-2010, दिनांक 4 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 4th October 2010

No. F-25-45-2010-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest land/waste land, specified in the Schedule below, subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time :—

SCHEDULE

District—Ujjain, Forest Division—Ujjain(Territorial), Tehsil—Ujjain, Forest Range—Ujjain

S. No.	Name of Forest Block	Name of Forest or Waste Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Goyala khurd	Goyala khurd (Charnoyi Land)	147/1 Part 147/3 Part Total	0.794 1.247 2.041	**North.**—Southern boundary line of Moti nagar and Goyala Choki habitation and remaining part of khasra number 147/1 and 147/3. **East.**—Road and Western boundary of private land Khasra number 147/4/1, 147/4/2 and 147/7. **South.**—Natural boundary of River Shipra. **West.**—Social Forestry land khasra number 143/2/1, 143/2/3 and 143/3/1.

Reason for afforestation.—Above non forest land has been allotted and transferred to the Forest Department for carrying out compensatory afforestation in exchange of equal area of deverted forest land. Notification proposal for protected forest has been prepared.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. 301-001-97.—मध्य प्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्र. एफ 5-4-2004-उन्तीस-2, दिनांक 28 जनवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, होशंगाबाद को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, खण्डवा तथा मण्डलेश्वर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. यह व्यवस्था जिला फोरम खण्डवा में अध्यक्ष की नियुक्ति होने अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,

महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

आदेश

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. एफ.-67-167-10-तीन-2719.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **श्री कुम्हार लालाराम,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर, 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी, 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी **टीकमगढ़** के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक न.नि.-व्यय लेखा-10-406, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री कुम्हार लालाराम** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री कुम्हार लालाराम** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताने हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री कुम्हार लालाराम को नोटिस दिनांक 10 मार्च, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 25 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 4 मई 2010 में लेख किया कि "**श्री कुम्हार लालाराम** को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् नोटिस में उल्लिखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है." उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 31 मई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 6 जून 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री कुम्हार लालाराम** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **निवाड़ी,** जिला टीकमगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (05वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्र. भू-अ.अ.-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	बगलवारा	27.03	कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	कुसमी जलाशय के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) एवं कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वेक्षण हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्र. 2209-भू-अ.अ.-2010-11-प्र.क्र. 17-अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	पटेरा	सगौनी	कुल भूमि 1.08	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	सगौनी जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
			योग : 1.08		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण, संभाग हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्र. 2256-भू-अ.अ.-2010-11-रा. प्र.क्रं. 16-अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	बिनती	कुल भूमि 3.29	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	बिनती जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
			योग : 3.29		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 2284-भू-अ.अ.-2010-11-रा. प्र.क्रं. 16-अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	मझगुवां अमान, हिनमत पटी, हिनौता	कुल भूमि 7.50	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	पिपरिया जलाशय योजना की नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
			योग : 7.50		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 6 अक्टूबर 2010

क्र. 2282-भू-अ.अ.-2010-11-रा. प्र.क्रं. 16-अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	आंजनी	कुल भूमि 35.57	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	बेलखेड़ी जलाशय योजना निर्माण में आने वाली भूमि.
			योग : 35.57		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2283-भू-अ.अ.-2010-11-रा. प्र.क्रं. 16-अ-82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	पथरिया एवं कैथोरा	कुल भूमि 78.76	कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला दमोह.	पथरिया जलाशय योजना एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
			योग : 78.76		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, पंचमनगर सर्वेक्षण संभाग, हटा, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-02-भू-अर्जन-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भिण्ड	गोहद	गोहद	2647/1	0.062	जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड	शा. बा. उ. उ.मा. वि. गोहद हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. 1526-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	कायतखेंड़ी	12.067	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर.	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1527-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	शिवरामपुरा	5.174	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

(2) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1525-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	सेजगांव	0.729	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

(2) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) (1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1524-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	पाण्डयाघाट	0.977	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण

(2) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान)—(1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1523-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	पथराड़ बुजूर्ग	8.387	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि. मण्डलेश्वर	महेश्वर जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(2) **नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान)—(1) कलेक्टर, जिला खरगोन, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-1) महेश्वर जल विद्युत परियोजना, म.प्र.रा.वि. मण्डल मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. 1555-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को

इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	खडकेल	5.711	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु,

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1556-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	शाहबाद	13.114	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1557-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को

इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	रशीदपुरा	2.889	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-24, खरगोन.	इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-584.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	कालापीपल	अलीसरिया	2.803	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर.	अरनिया से कोठडीकलां पहुंच मार्ग हेतु.
		निपानियाखुर्द	3.909		
		बदलपुर	2.322		
		पोचानेर	9.203		
		रोलाखेडी	1.289		
		अरनियाकलाँ	1.895		
		योग . .	21.421		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्र. भू-अर्जन-2010-598.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	शुजालपुर	मेहरखेडी	0.533	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., शाजापुर	मेहरखेडी से कालापीपल मार्ग हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 28 सितम्बर 2010

क्र. 767-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इंदौर	इंदौर	राऊ	0.501	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) द्वितीय, रतलाम (म. प्र.).	नई बड़ी रेल्वे लाईन इंदौर-दाहोद बरास्ता (झाबुआ-धार-पीथमपुर) परियोजना के अंतर्गत.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

महू, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. 1921-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-"अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगें, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इंदौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)	सिमरोल	0.368	संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन	आई.आई.टी. की स्थापना
		योग . .	0.368		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—आई.आई.टी. की स्थापना के लिए

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील (महू) डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्र. 5269-भू-अर्जन-2010. प्रकरण कमांक 7-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	मोहम्मद नगर	0.170	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्षा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 5271-भू-अर्जन-2010. प्रकरण कमांक 1-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	बड़ावदा	1.100	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, उज्जैन.	उज्जैन-उन्हेल-नागदा धिनौदा जावरा मार्ग का टू-लेन निर्माण बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्षा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्र. 1054-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों के इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा शक्तियों, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-(5)-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	चोरमारी	21.89	कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म. प्र.)	नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 09-अ-82-09-10-प्र-1-अ.वि.अ.भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	पिपरिया नं.बं.199 प.ह.नं.21	10.29	कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर	पिपरिया जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य के लिये

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-09-10-प्र-1-अ.वि.अ.भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	कुण्डम	डुंगरगवां प.ह.नं. 7 नं.बं. 503	30.52	कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर	डुंगरगवां जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल दिनांक 1 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 2 अ-82-वर्ष-09-10-7416.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोडाड़ोगरी	घोडाड़ोगरी प.ह.क.-45	0.870	कार्यपालन यंत्री सिविल संभाग दो म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. सारणी	सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र म.प्र. पा.ज.क. लि. 2×250 मेगावाट यूनिट क्रं. 10 एवं 11 इकाइयों के अंतर्गत घोड़ाडोगरी निजी रेल्वे यार्ड के विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, सिविल संभाग दो म. प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारनी के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल दिनांक 5 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 2 अ-82-वर्ष-09-10-भू-अर्जन-7496.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	बरखेड	6.987	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल.	राबडिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3 अ-82-वर्ष-09-10-भू-अर्जन-7498.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	टेमूरनी	6.966	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल.	पचधार जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष-09-10-भू-अर्जन-7497.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	राबडिया	0.808	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल.	राबडिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. अ-82-वर्ष-09-10-भू-अर्जन-7495.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	धामोरी	0.798	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल.	राबडिया जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. 2782-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करवड़	14.69	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की करवड़ माईनर हेतु.
		योग :	14.69		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2784-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	पीठापाड़ा	1.24	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ	माही परियोजना की पीठापाड़ा उप माईनर नहर निर्माण हेतु. (म. प्र.).
		योग :	1.24		

क्र. 2786-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	केसरपुरा	1.12	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ	माही परियोजना की करवड़ उप माईनर नहर निर्माण हेतु. (म. प्र.).
		योग :	1.12		

क्र. 2788-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करवड़	1.96	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ	माही परियोजना की करवड़ उप माईनर नहर निर्माण हेतु. (म. प्र.).
		योग :	1.96		

क्र. 2790-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बोरियापाडा	1.03	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	1.03		

क्र. 2792-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	गुणावद (केलकुई)	2.09	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की केलकुई माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	2.09		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2794-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बडलीपाड़ा	0.45	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.)	माही परियोजना की करवड़ माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	0.45		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2796-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	जाम्बूपाड़ा	1.38	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.)	माही परियोजना की मोर माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	1.38		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2798-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बडलीपाड़ा	0.98	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.)	माही परियोजना की बडलीपाड़ा उप माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	0.98		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2800-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	मांडन (पोलारूण्डा)	1.81	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की पोलारूण्ड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	1.81		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2802-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	गुणावद	2.12	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की पीथापाड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	2.12		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2804-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	मांडन	3.35	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की मांडन माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग :	3.35		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2806-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	दुलाखेड़ी	3.22	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	3.22		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2808-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बैंगनबर्डी	1.00	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	1.00		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2810-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	टेमरिया	2.33	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	2.33		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2812-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	पंथबोराली	2.84	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	2.84		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2814-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बरबेट	0.95	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	0.95		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2816-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	मोटापाला	1.41	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	1.41		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2818-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बोड़ायता	4.03	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	4.03		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2820-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	कचनारिया	0.12	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	0.12		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2822-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	केशरपुरा	1.08	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	1.08		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2824-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	सजेलिया	0.36	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	0.36		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2826-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बांछीखेड़ा	5.86	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	5.86		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2828-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. A-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	करड़ावद	10.29	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला-झाबुआ.	माही परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.
		योग :	10.29		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2832-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. 17-अ-82-2005-06.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	कोटडा चारण	0.80	माही परियोजना संभाग, पेटलावद.	माही परियोजना के मुख्य बांध के डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु.
		योग :	0.80		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 6-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	कुल रकबा	अर्जित रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रायसेन	उदयपुरा	मनकापुर	4	1.692	0.128	कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग, रायसेन.	मनकापुर तालाब नहर हेतु भूअर्जन.
			20	3.084	0.447		
			22	0.441	0.134		
			24	0.283	0.065		
			101	6.062	0.195		
			5	11.104	1.300		
			10/1/1	1.619	0.160		
			10/1/2	5.665	0.534		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			10/2	7.268	0.282		
			17	7.519	0.331		
			18	3.084	0.254		
			19	0.445	0.116		
			23	1.283	0.018		
			25	0.996	0.083		
			27	1.186	0.086		
			28	0.243	0.074		
			29	0.223	0.149		
			46/1/4	0.405	0.045		
			46/1/6	0.405	0.045		
			46/1/7	0.405	0.045		
			46/1/8	0.405	0.045		
			46/1/9	0.405	0.045		
			46/1/13	0.405	0.045		
			46/1/14	0.405	0.045		
			46/1/15	0.405	0.045		
			46/1/18	0.405	0.045		
			47/1	14.163	0.650		
			106/2	5.018	0.325		
			46/2	3.237	0.362		
			47/2	5.897	0.339		
			102/1	1.619	0.158		
			109/1	2.428	0.181		
		गेरूआ	3/1/1	0.097	0.010		
			3/1/2	2.428	0.255		
			3/2	2.525	0.265		
			3/3/1	0.097	0.010		
			3/3/2	1.214	0.102		
			4/1	0.044	0.044		
			52/2/1	2.962	0.163		
			4/2	1.619	0.280		
			11/1	1.619	0.214		
			12/1	3.569	0.037		
			12/2	1.821	0.232		
			52/2/2	1.619	0.125		
			25/1	4.047	0.237		
			25/2/1/1	2.023	0.139		
			36/1/1	3.048	0.232		
			36/1/2	3.047	0.065		
			36/2/1	2.687	0.014		
			36/2/2	2.853	0.125		
				योग	8.920		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	शासकीय	मनकापुर	16	1.352	0.049		
	भूमि		30	0.567	0.007		
		गेरूआ	52/1	0.040	0.037		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरेली जिला रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 31-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	बक्स्वाहा	सैड़ारा	3.746	अनु. अधिकारी (राजस्व) विजावर.	खिरिया बुजर्ग तालाब योजना हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है रिवरिया बुजुर्ग तालाब योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनु. अधिकारी कार्यालय राजस्व विजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिंदवाड़ा, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 8540-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-महेन्द्रवाड़ा ब. न.-226 प.ह.न.-40 रा.नि.मं.-अमरवाड़ा	02.138 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियॉ)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 8541-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-देवधा ब.नं.-273, प.ह.न.-28 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा-1	161.522 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियां)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 8542-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-खकरा चौरई ब.न.-94 प.ह.न.-40 रा.नि.मं.-अमरवाड़ा-2	06.550 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियॉ)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 8543-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन

की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बान्दरा ब.नं.-200 प.ह.नं.-42 रा.नि.मं.-अमरवाड़ा-2	14.946 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियॉ)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 8544-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-नगझिर ब.नं.-285 प.ह.नं.-27 रा.नि.मं.-छिंदवाड़ा-1	11.980 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियॉ)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 8545-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-खैरी लद्दू ब.नं.-1118 प.ह.नं.-32 रा.नि.नं.-छिंदवाड़ा-1	183.003 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियॉं)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 8546-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-राजाखोह ब.नं.-503 प.ह.नं.-27 रा.नि.नं.-छिंदवाड़ा-1	31.266 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियॉ)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

क्र. 8547-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है. राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे. इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	ग्राम-बिल्बा ब.नं. 391 प.ह.नं.-31 रा.नि.नं.-छिंदवाड़ा-1	32.572 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पतियॉ)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई जिला-छिंदवाड़ा.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना संभाग-चौरई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना उपसंभाग-क्रमांक-04 चौरई जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 28 फरवरी 2010

क्र. 05-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पनागर
(ग) ग्राम—कठौंदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—39.04 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
335/1	3.21
335/3	3.22
350	1.45
351	1.45
352	1.45
353	1.45
354	1.45
371	2.05
372	0.15
374	1.92
386	2.20
387/1	0.01
387/2	0.46
387/3	0.46
387/4	0.46
388	1.67
390	3.07
391/1	1.73
391/2	1.32
392	1.62
404	8.24
योग . .	39.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—मलजल निकासी परियोजना जे. एन. एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट परिक्षेत्र क्रमांक 02 हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जून 2010

क्र. 620-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—अमदरा
(घ) क्षेत्रफल—0.376 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
81/2	0.261
83	0.052
33/2	0.063
योग . .	0.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 621-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—रोहनिया
(घ) क्षेत्रफल—0.740 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
226/1ख 1	0.740
योग . .	0.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 622-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—रैगवां
(घ) क्षेत्रफल—0.209 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
196	0.209
योग . .	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 623-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—सुहौला
(घ) क्षेत्रफल—0.314 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
12	0.314
योग . .	0.314

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 624-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—पनसोखरा

(घ) क्षेत्रफल—0.425 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
109/1	0.331
109/2	0.094
योग . .	0.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 625-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—गुमेही

(घ) क्षेत्रफल—0.718 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
21	0.718
योग . .	0.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 626-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—नयागांव

(घ) क्षेत्रफल—0.1.484 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
6	0.052
53/2	0.627
53/3	0.805
योग . .	1.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण में अर्जित होने वाली भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2010

क्र. 97-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—पाला

(घ) क्षेत्रफल—0.052 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
558	0.052
योग . .	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 98-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—सभागंज
(घ) क्षेत्रफल—0.115 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
843/1	0.115
योग . .	0.115

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—सतना रीवा मुख्य नहर परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 99-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—बेरमा
(घ) क्षेत्रफल—5.841 हेक्टर.

खसरा नम्बर	पूर्व में अर्जित रकबा	अतिरिक्त अर्जित रकबा	कुल अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1688	–	0.094	0.094
1699/3	–	0.115	0.115
1699/4	–	0.031	0.031
1703/3 ख	–	0.094	0.094
1703/3 ग	0.105	0.083	0.188
1707/1ख	–	0.021	0.021
1709/1/2	–	0.079	0.079
1709/2	–	0.167	0.167
1753/1	0.052	0.032	0.084
1757/1ख	0.031	0.011	0.042
1757/2	–	0.105	0.105
1758/1	–	0.010	0.010
1772	0.063	0.031	0.094
1778	–	0.021	0.021
1779	–	0.146	0.146
1781/2	–	0.147	0.147
1781/3/1	–	0.037	0.037
1793/3	–	0.021	0.021
1794/1	0.073	0.021	0.094
1797/2	0.052	0.105	0.157
1798/2	–	0.271	0.271
1800/2	–	0.010	0.010
1801/2	–	0.010	0.010
1815	0.052	0.073	0.125
1817/1	–	2.017	2.017
2196/1	–	0.188	0.188
2196/2	–	0.105	0.105
2227	–	0.031	0.031
2178/1	–	0.052	0.052
2890/1780	–	0.240	0.240
2891/1/1/1703	–	0.209	0.209
2891/1/2/1703	–	0.097	0.097
2891/2/1703	–	0.102	0.102
2895/1/1757	–	0.052	0.052
2895/2/1757	–	0.094	0.094
1735	0.104	0.011	0.115
1784/2	0.115	0.010	0.125
1785	–	0.021	0.021
1705/1	–	0.021	0.021
1685/2	–	0.209	0.209
	योग . .	5.194	5.841

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—दायीं तट की सतना-रीवा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 सितम्बर 2010

प्र. क्र. 12-अ-82-09-10-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) नगर/ग्राम—डंगौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.519 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
168	0.324	0.262
169	0.073	0.052
170	0.763	0.263
174/2/177	0.564	0.125
173	1.82	0.061
175	0.042	0.021
171/1+172/5	0.669	0.222
172/2+174/4	0.658	0.222
171/3+172/3	0.658	0.222
171/4+172/2	0.658	0.222
172/1 मिन-2 204/2	0.836	0.747

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. 1535-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र.क्र. 21-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम का नाम—बड़वानी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.235 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
4	0.081
5/13	0.262
8/2, 9/1	0.121
10/2	0.041
10/5, 13/3	0.220
10/6	0.101
13/4	0.223
13/5	0.223
13/6	0.222
13/7	0.110
14/1	1.460

(1)	(2)
14/2	0.182
14/3	0.131
14/6	0.182
14/7	0.182
14/8	0.542
16/1	0.219
30/1	0.641
30/7	0.020
31/2क	0.672
31/1/2	0.290
35/2	0.340
35/3	0.200
35/4	0.300
35/5	0.321
35/6	0.370
46/4	0.162
48/1/2	0.004
48/2	0.290
49/1/3	0.582
51	0.541
53/1	1.000
योग . .	10.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. 1806-वाचक-प्र. क्र. अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—अजन्दीमान
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.521 हेक्टर

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
252/1/1	0.050
252/7/3	0.080
252/7/2	0.100
252/7/1	0.100
267/1/1ड	0.022
267/1ग	0.026
267/1/1घ	0.053
252/6	0.090
योग . .	0.521

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 122.918 मी. से. 124.975 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. 1849-वाचक-प्र. क्र. अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—देवगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.971 हेक्टर.

क्रमांक	धारा 6 में प्रकाशित सर्वे नं. जिनमें रकबे में बचत हुई	रकबा	पूर्व में प्रकाशित सर्वे नम्बर	रकबा	क्रमांक	संशोधित सर्वे नंम्बर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	264/1ग	0.560	217/1क, 217/2	0.259	1	217/1क, 217/2	0.359
2	257/1/2/3/1क	0.024	284/1	0.385	2	284/1	0.485
3	262/2	0.033	161/1	0.530	3	161/1	0.565
4	263/2	0.530	277/2ग	0.140	4	277/2ग	0.485
5			276/2, 277/2क	0.140	5	276/2 277/2क	0.210
6			227/2ख	0.200	6	227/2ख	0.242
7			208/1	निल	7	208/1	0.455
	योग . .	1.147		1.654			2.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 कि. मी. से. निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी माईनर क्र. 1, 5, 6, 7, 8 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1854-वाचक-प्र. क्र. अ-82-2008-2009.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत संशोधित अधिसूचना इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—गांगली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.440 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित सर्वे नं.	रकबा	संशोधित सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(1)	(2)
278/2	0.178	57/2, 57/3	0.188
24/2क	0.240	24/2ग	0.230
योग . .	0.418		0.418

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 145000 मी. से. निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 16 एवं उसकी डायरेक्ट माईनर 7.3 के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अन्तर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्र. क्यू-कोर्ट-कले.-राजस्व-01-भू-अर्जन-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड
(ख) तहसील—गोहद
(ग) नगर/ग्राम—गोहद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.021 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2646	0.021
योग . .	0.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोहद बनीपुरा रोड हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहद, जिला भिण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र.1583-भू.-अ.-10-प्र. क्र.-21-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 522-05-कोर्ट-10, इंदौर, दिनांक 16 जुलाई 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम का नाम—आलीबुजूर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.673 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
6/1	0.081	पाईप लाईन-7
18	0.366	-
19	0.202	पाईप लाईन-14
290	0.012	-
293	0.012	-
योग . .	0.673	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर जिला-खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प./ म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.1582-भू.-अ.-10-प्र. क्र.-22-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 522-05-कोर्ट-10, इंदौर, दिनांक 16 जुलाई 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम का नाम—बेलसर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.798 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
175	1.882	पाईप लाईन-10, मोटरघर-4
179	0.440	-
183	0.440	-
184	0.036	-
योग . .	2.798	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला-खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प./ म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.1578-भू.-अ.-10-प्र. क्र.-23-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 522-05-कोर्ट-10, इंदौर,

दिनांक 16 जुलाई 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम का नाम—बकावां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.397 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
8/1	0.044	–
350/2	0.128	नीम-1
350/3	0.127	नीम-1
527/1	0.950	–
528/4	0.189	–
614/2	0.150	–
614/3	0.200	–
614/4	0.100	–
614/5	0.057	–
528/2	0.709	–
534/1	0.631	–
534/2	0.202	–
539/3	0.040	–
539/4	0.280	आम पौधा-1
539/5	0.330	नीम वृक्ष-3
539/6	0.760	–
योग . .	4.397	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), 1-कलेक्टर, जिला-खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प./म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.1580-भू.-अ.-10-प्र. क्र. 24-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 522-05-कोर्ट-10, इंदौर, दिनांक 16 जुलाई 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम का नाम—सेमरला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.101 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
115	0.020	–
120	0.081	–
योग . .	0.101	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), 1-कलेक्टर, जिला-खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प./म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.1577-भू.-अ.-10-प्र. क्र.-25-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 529-05-कोर्ट-10, इंदौर, दिनांक 26 जुलाई 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम का नाम—नगावां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.552 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
6 पैकी	0.041	-
11	0.121	-
13/1	0.170	-
16	0.114	ईमली-1, नीम-4
17/1	0.045	नीम-1
23	0.041	-
25/1	0.012	मकान-1
25/2	0.012	मकान-2
26	0.008	-
27	0.008	मकान-1
28	0.012	-
29	0.008	मकान-1
30	0.008	मकान-1
31	0.008	-
32	0.057	मकान-1
33	0.061	-
35	0.036	-
36	0.036	मकान-2, नर्मदा मंदिर 1, सीताफल-1, आम पौधे-3, बड़-1, पीपल-1, नीम-1, नींबू-1, बादाम-1, अनार-1 जाम-1
40	0.057	मकान-4, नीम-1
42/1	0.101	मकान-1, कोलुड़-1 बेर-1
49	0.109	नीम-2, डी.पी.एम.पी.ई.बी-1
50	0.081	-
53	0.045	-
54	0.024	-
73/1पैकी	0.008	-
104 पैकी	0.010	-
108/1	0.056	मकान-1
108/2	0.057	
108/3 पैकी	0.017	-
110	0.065	-
114 पैकी	0.008	-
116 पैकी	0.004	-
117 पैकी	0.072	-
118 पैकी	0.008	-
121 पैकी	0.032	-
योग . .	1.552	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), 1-कलेक्टर, जिला-खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प./ म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.1581-भू.-अ.-10-प्र. क्र.-26-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 529-05-कोर्ट-10, इंदौर, दिनांक 26 जुलाई 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह

(ग) ग्राम का नाम—मर्दाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.477 हेक्टर निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
91	0.008	पाईप लाईन-5
95/1	0.020	मकान-1
95/2	0.008	-
96/2	0.008	-
97	0.010	-
98	0.028	-
100/1	0.040	-
100/2	0.040	-
101	0.129	-
102/1	0.105	नीम-1
102/2	0.037	नीम-2
102/3	0.036	-
102/4	0.036	-
103	0.186	नीम-1
104	0.174	-
105/1	0.065	-
105/2	0.137	-
105/3	0.065	-
105/4	0.065	
107	0.170	-
108	0.129	-
109	0.142	नीम-1, बासझुण्ड-1, मकान-1, सागवान-10
110	0.081	-
111	0.222	-
115	0.158	-
117	0.219	-
116	0.139	-
118	0.097	नीम-1, सागवान-10
119/1	0.032	-
119/2	0.033	-
120	0.045	-
121	0.045	इमली-1
122	0.101	बैर-1, इमली-1,अस्तरा-1, बांस झुण्ड-4, नीम-4
123	0.146	-
125	0.186	नीम-2
127	0.081	-
128	0.065	-
129	0.198	नीम-2, बैर-1
130	0.081	-
131	0.081	-
132	0.081	नीम-1
133	0.097	-
134	0.049	-
135	0.182	-
136/1	0.117	-
136/2	0.118	-
137	0.129	-
138/1	0.041	-
138/2	0.040	-
139	0.105	-
140	0.089	इमली-1
141	0.081	-
142/1	0.020	-
142/2	0.020	मकान-1, पानी की टंकी-1 (टीन शेड)
143	0.040	-
145	0.138	-
146	0.016	-
149/1	0.049	-
149/2	0.052	-
149/3	0.052	-
151	0.068	-
152	0.036	-
153	0.008	-
162	0.085	-
163	0.360	नीम-5
164	0.024	-
166/1	0.346	मकान-4
166/2	0.012	-
166/3	0.057	मकान-1
166/4	0.057	मकान-1
167	0.105	मकान-4
194	0.010	मकान-1
195	0.113	टीन शेड-1, नीम-1, इमली-1
196	0.153	मकान-4
198	0.016	गोबर गैस-1
201	0.097	मकान-1
203	0.045	मकान-1
204	0.093	मकान-1, टप्पर-2
205	0.061	मकान-1, टीनशेड-1,नीम-2

(1)	(2)	(3)
206	0.061	टप्पर-1
207/1	0.029	मकान-1
207/2	0.028	मकान-3
210	0.061	–
200	0.045	–
208	0.080	मकान-1
218	0.012	–
220	0.360	मकान-1
222	0.057	–
219/1	0.042	नीम-2
219/2	0.085	मकान-1
219/3	0.019	इमली-1
223	0.024	–
224/1	0.077	मकान-1
224/2	0.077	गोबर गैस-1, इमली-1, एयरटेल टावर-1, जनरेटर-1
226/1	0.041	मकान-1
226/2	0.040	मकान-1
227	0.020	–
229/1	0.020	मकान-1
229/2	0.020	मकान-1
229/3	0.016	–
229/4	0.017	–
229/5	0.020	–
230	0.049	–
231	0.049	मकान-3
232	0.061	मकान-1
233	0.012	मकान-1
234	0.008	मकान-1
235	0.121	मकान-1
236	0.093	मकान-1
237	0.081	इमली-1, नीम-1, मकान-1
238	0.073	–
239	0.012	–
241	0.146	–
251	0.130	–
252	0.085	–
255	0.020	–
256	0.020	–
266/1	0.150	कुआं पक्का-1, नीम-1
296	0.030	नीम-2,जामुन-1,आंवला-2
297	0.160	–
298	0.100	–
260	0.500	–
261	0.016	–
264	0.210	–
267	0.010	–
547	0.180	–
योग . .	10.477	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला-खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प./ म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र.1579-भू.-अ.-10-प्र. क्र.-27-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 530-05-कोर्ट-10 इंदौर, दिनांक 26 जुलाई 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम का नाम—जलूद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.268 हेक्टर निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
13/4	0.972	पाईप लाईन-1, नीम-1 खाकरा-1

(1)	(2)	(3)
68/5	0.081	
68/6	0.076	
68/7	0.076	
72/2	0.506	नीम-4
73	1.218	नीम-10, नीम पौधे-30
76/5	0.344	नीम-1
79/1	0.040	
96/2	2.194	आम-1 (सूखा) नीम-1
102	0.032	
103	0.032	
105/1/2	0.020	बड़-1, नीम-1
105/1/3	0.024	
105/5	0.081	
105/6	0.122	
108	0.073	ईमली-1
113	0.284	सुरजना पौधा-40, नीम-8
100/133	0.093	
योग . .	6.268	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला-खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी, म.ज.वि.प. मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3-कार्यपालन यंत्री (सिविल) म.ज.वि.प./ म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

क्र. 2830-भू-अर्जन-2010-राजस्व-प्रकरण-क्रमांक-ए-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) मकानों का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—कोटड़ा चारण
(घ) लगभग क्षेत्रफल—731.06 वर्गमीटर.

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
326	93.84
326	167.94
326	29.70
326	65.87
326	54.56
326	93.04
326	126.75
326	58.56
326	40.80
कुल योग . .	731.06

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. 3-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—सेंवढ़ा

(ग) ग्राम—बडोखरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.24 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
670	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता—राजघाट परियोजना के अन्तर्गत अखदेवा शाखा की टेडा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, राजघाट परियोजना, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. 9950-भू-अर्जन-35-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—रूनझुन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.388 हेक्टेयर/13.29 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
231/1, 231/2	0.181	–
234	0.214	–
238	0.163	–
244/1,244/2,244/3	0.008	–
242	0.129	–
130/1, 130/2	0.121	–
128/1, 128/2	0.242	
128/3, 128/4		–
128/5, 128/6, 128/7		–
141/1, 141/2	0.364	–
143/1, 143/2		
143/3, 143/4	0.405	–
143/5, 143/6		
149/1, 149/2,	0.008	–
149/3, 149/4,		
248/1, 248/2	0.291	–
253/1, 253/2	0.202	–
253/3, 253/4		
122/1, 122/9		
122/3, 122/8		
122/4, 122/10		
122/5, 122/11	0.384	–
122/6, 122/12		
122/7, 122/13		
122/2, 122/14		
122/15, 122/16		
233/2, 233/3	0.061	–
237	0.141	–
239	0.238	–
241/1, 241/2	0.335	–
129	0.121	–
127/1, 127/2	0.194	–
133/1, 133/2	0.364	–
133/3		
142	0.049	–
148/1, 148/2,		–
148/3, 148/4,	0.133	
148/5		
236	0.291	–
255/1,255/2,255/3	0.586	–
252	0.163	
योग . .	5.388	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इमलीढाना जलाशय की सिपेज डेन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9946-भू-अर्जन-36-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—सिराली

(ग) नगर/ग्राम—मुहाल सरकुलर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.436 हेक्टेयर/1.08 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
32/1	0.036	–
25/1	0.061	–
24/2	0.036	–
25/6	0.036	–
24/3	0.085	–
24/1	0.182	–
योग . .	0.436	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इमलीढाना जलाशय की सिपेज डेन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9948-भू-अर्जन-37-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—सिराली

(ग) नगर/ग्राम—सांवलखेड़ा रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.460 हेक्टेयर/1.14 एकड़.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
21/1	0.242	–
9	0.049	–
99/1	0.169	–
योग . .	0.460	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इमलीढाना जलाशय की सिपेज डेन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. 3-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-3-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—गुदनवारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.510 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1079	0.020
1080	0.061
1081	0.245
1088	0.200
1089	0.300
1091	0.040
1092	0.020
1093	0.200
1097	0.300
1099	0.024
1100	0.591
1102	0.129
1103	0.364
1104	0.097
1105	0.028
1106	0.120
1107	0.032
1108	0.050
1117	0.040
1119	0.160
1120	0.036
1121	0.470
1123	0.320
1124	1.817
1127	0.255
1128	0.138
1129	0.320
1130	0.190
1131	0.539
1132	0.522
1133	0.178
1134	0.020
1135	0.482
1136	0.081
1137	0.121
योग . .	8.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 5-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-5-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—कछियाखेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—48.268 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
80/4	1.000
80/5	0.347

(1)	(2)
82/2	1.416
82/3	2.023
82/4	0.809
82/5	2.023
82/6	2.023
82/7	2.023
82/8	2.023
82/9	1.415
82/10	0.607
82/11	0.607
82/12	0.607
82/13/1	2.023
82/13/2	2.023
82/14	0.205
82/14/1	0.405
82/15/1	0.733
82/15/2	0.809
82/15/3	1.069
82/15/4	1.343
82/15/6	1.200
82/15/7	0.485
82/15/8	0.405
82/15/9	1.485
82/15/10	0.716
82/16	0.607
82/17/1/1	1.261
82/17/1/2	0.762
82/17/2	1.619
82/18/1	1.214
82/18/2	0.499
82/19	0.809
82/20/1	0.737
82/20/2	0.451
82/21	0.809
82/22	1.551
82/23	1.011
82/24	0.809
82/25	0.809
82/26	0.405
82/27	0.607
82/28/1	0.549
82/28/2	0.413
82/28/3	0.902
82/206	0.024
79	0.020
66	0.010
69	0.010
71	0.010
72	0.040
73	0.040
47/5/2	0.080
47/4	0.280
144	0.060
0.56	0.065
157	0.020
172/1	0.100
172/2	0.100
82/15/12	0.713
82/214	0.113
82/215	0.186
82/216	0.749
योग . .	48.268

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 6-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-6-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—राधापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.040 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85/2	1.214
85/3	0.586
86	0.251
88	0.081
89	0.061
90	0.138
91	0.089
92	0.150
93	0.049
94	0.372
95	0.032
96	0.020
97	0.028
98	0.040
99	0.069
100	0.012
101	0.065
102	0.053
103	0.057
104	0.049
105	0.364
106	0.134
107	0.105
108	0.045
109	0.158
110	0.097
111	0.016
112	0.328
113	0.174
114	0.089
115	0.150
116	0.223
117	1.707
118	0.446
119	0.368
120/1	0.348
120/2	2.023
120/3	1.809
120/4	0.896
123	0.206
124	0.466
125/1	0.186
125/2	1.667
126	0.874
127	0.235
129/1	0.304
129/2	0.040
130/1	0.243
130/2	0.242
131	0.906
132	0.053
133	0.186
134	0.142
135	0.158
136	0.097
137	0.024
138	0.186
139	0.522
141	0.134
142	0.170
144	0.020
145	0.324
146	0.040
149	0.077
150	0.040

(1)	(2)
151	0.040
152/1	0.332
152/2	0.530
153	0.140
154/1	0.020
154/2	0.150
155	0.765
156	0.138
157	0.194
159	0.198
160	0.409
161	0.384
162	0.028
163	0.129
164	0.036
165	0.223
166	0.450
167	0.036
168	0.140
170	0.053
171	0.097
172	0.170
173	0.154
174	0.162
175	0.045
177	0.190
178	0.008
179	0.032
180	0.175
181	0.125
182	0.105
183	0.077
184	0.287
185	0.230
186	0.100
249	0.410
250	0.020
251	0.186
252	0.100
256	0.200
260	0.194
261	0.045
262	0.182
263	0.032
264	0.117
265	0.227
266	0.020
267	0.020
268	0.384
269	0.008
270	0.109
271	0.372
272	0.624
योग . .	30.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 11-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-11-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—टीकमगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—समर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—28.954 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/1	0.300
36	0.024
37/2	1.983

(1)	(2)
39	0.186
41	0.725
42	0.526
43/1	0.235
43/2	0.061
44	0.239
45	0.365
46	0.012
47/1	0.802
47/2	0.138
48	0.100
49	0.231
50	0.150
51	0.025
52/1/1	0.809
52/2/1	0.200
52/3	0.061
52/4	0.655
52/7	0.219
163/1	0.070
164	0.121
165	0.032
166	0.028
167	0.028
168	0.060
173	0.460
195	0.120
197/1	0.206
197/2	0.185
198	0.160
199	0.150
200	0.665
201	1.306
202/1/1	1.000
202/1/2	1.619
202/1/3	1.214
202/2	1.000
203	0.200
204	0.300
205	0.028
206	1.222
208	1.388
209	1.088
213	0.769
214	0.749
215/1	0.600
215/2	4.400
215/4	0.500
215/5	0.809
521	0.297
38	0.134
योग . .	28.954

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12-भू-अर्जन-2010-प्र. क्र.-12-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस संबंध में माननीय आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा अपने पत्र क्रमांक-843-एक-स.अ.-2010, दिनांक 27 सितम्बर 2010 अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 17(1) के तहत अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति दी जा चुकी है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—वकपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—71.590 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/1	0.200
109	0.032
110	0.239

(1)	(2)
111	0.010
112	0.186
113	0.591
114/2/1	0.484
114/3	1.440
115	0.117
116	0.098
117	0.200
119	0.250
120	0.348
121	0.076
453/2	0.770
454	0.454
455	0.890
456	0.069
457/1	1.202
524	1.659
525	0.101
526	0.526
527	0.214
516	0.045
520	0.591
528	0.166
529	1.093
530	0.227
531	0.089
532	0.486
533	0.134
534	0.683
535	0.559
536	0.279
537	0.073
538	0.134
539	0.069
540	0.049
541	0.105
542	0.717
543	3.040
544	0.901
545	0.429
547	0.713
549	0.405
550/1	1.148
551	0.751

(1)	(2)
555	0.452
557	0.765
558	0.361
559/1	0.401
559/2	0.516
496	0.085
497	0.154
498	0.040
499	0.178
500	0.251
501	0.271
503	0.327
504	0.156
505/1	0.200
505/3	1.570
615/1	0.539
615/2	0.538
615/3	0.471
615/4	0.470
615/5	0.470
618/3	2.000
623	0.519
624	0.194
626	0.247
627	0.813
628/2/1	2.023
628/2/2	1.619
628/3	2.023
628/4	1.497
628/1	1.575
629/1	0.228
632/3	1.209
632/4	0.300
636	0.055
637	1.247
638	5.268
514	0.120
513/2	0.400
487/2	0.555
489	0.500
490	0.060
491	0.125
492	0.020
493	0.040

(1)	(2)
494	0.077
495	0.061
506/1/3	0.551
506/1/4	1.012
506/2	0.989
506/3	1.254
507	0.053
508	0.918
505/5	0.200
506/1/1	1.675
506/1/2	1.214
509	0.644
510	0.032
511	0.745
512	8.106
470	0.005
471	0.040
475	0.015
484	0.030
475/655	0.075
योग . .	71.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध निर्माण, स्पिल चैनल, वेस्ट वियर एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 10079-प्र-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) नगर/ग्राम—पगारा
(घ) क्षेत्रफल—4.44 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
03	0.80
24	0.02
04	0.80
05	0.80
08	0.94
10/1	0.08
25	0.05
26	0.95
योग . .	4.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—पगारा जलाशय योजना के बांध कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 13-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—वकस्वाहा
(ग) नगर/ग्राम—पड़रियां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.960
(1) निजी भूमि-0.960
(2) शास. भूमि-निरंक

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम पड़रियां	
148/1	0.020
149	0.020
150 151	0.056
152	0.104
162	0.120
168/1	0.072
175/1	0.112
178 179/1	0.208
262	0.024
263	0.104
344/9	0.120
योग . .	0.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुसमाड़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 14-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—वकस्वाहा
(ग) नगर/ग्राम—मछन्दरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.791
(1) निजी भूमि-2.791
(2) शास. भूमि-निरंक

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम मछन्दरी	
101	0.120
104/1 106	0.304
107/1	0.100
107/2/1	0.068
134 147	0.016
149	0.040
156	0.210
157	0.006
159/2	0.060
162/1 162/2 162/3	0.036
163/3 166	0.160
167/1	0.052
184/1/1	0.040
184/1/2	0.040
184/2	0.020
329	0.080
330/1 345/1	0.072
339	0.014
340	0.043
342	0.038
343	0.035
344/2 345/3	0.112
441/1	0.120
442/1 443	0.120
445 447/2	0.064
456 457 458	0.104
459/2 461/2 460	0.012
529	0.025
530	0.136

(1)	(2)
533/1	0.076
533/2 | 534/2	0.100
535	0.112
536	0.120
541	0.136
योग . .	2.791

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुसमाड़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 15-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—वकस्वाहा
- (ग) नगर/ग्राम—भुजपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.119
  - (1) निजी भूमि-3.119
  - (2) शास. भूमि-निरंक

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम भुजपुरा	
11/7 | 221/2	0.120
11/12	0.144
212/1, 10	0.232
127	0.056
128	0.061
135	0.033
136 | 147	0.136
137	0.031
157 | 160	0.056
161	0.026
169	0.064
185	0.120
193	0.040
195 | 196/1	0160
196/2	0.080
197	0.088
198/1 | 211/2	0.152
217/1 | 217/2	0.120
221/3/1 | 222/1/1 | 222/2/1	0.128
225/1 | 225/2	0.272
302 | 303	0.088
304	0.072
305	0.120
317/1	0.208
351/1 | 351/3 | 352	0.168
355/2 | 355/3	0.344
योग . .	3.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुसमाड़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—वकस्वाहा
(ग) नगर/ग्राम—डुगासरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.148
(1) निजी भूमि-1.148
(2) शास. भूमि-निरंक

अर्जित की जा रही भूमि की सूची

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम डुगासरा	
86	0.152
114/1	0.284
114/2	0.100
116/2	0.120
117	0.168
118	0.080
119	0.024
139	0.084
195	0.048
197	0.088
योग . .	1.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—कुसमाड़ तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 1067-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) नगर/ग्राम—पुरैनी 378
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.988 हेक्टर.

खसरा क्र.	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
50	0.080	निरंक
51	0.008	
52	0.016	
53	0.041	
54	0.020	
55	0.031	
56	0.016	
57	0.016	
110	0.056	
92	0.035	
91	0.024	
88	0.063	
87	0.009	
86	0.182	
85	0.003	
81	0.405	
80	0.009	

(1)	(2)	(3)
70	0.332	
71	0.008	
171	0.220	
180	0.201	
181	0.013	
182	0.013	
183	0.163	
184	0.024	
कुल . .	1.988	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1069-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) नगर/ग्राम—अबेर कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.223 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1912	0.403	निरंक
1096	0.202	
1098	0.109	
1489	0.097	
1488	0.208	
1490	0.077	
1095	0.101	
3190	0.090	
929/3630	0.141	
1304	0.036	
1306	0.199	
1308	0.200	
1886/2	0.101	
3548/211	0.056	
1901/1	0.470	
332/3	0.133	
1624	0.590	
1628	0.120	
1882	0.168	
3544	0.052	
3443	0.016	
2491	0.040	
2498	0.081	
2499	0.182	
2537	0.061	
2538	0.045	
2536	0.020	
2533	0.101	
2565	0.125	
कुल . .	4.223	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की मुख्य नहर एवं विभिन्न माइनर/सबमाइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.1071-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—कुंआ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.320 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1687	0.320
योग . .	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.1073-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—पवैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.277 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
174	0.524
263	0.064
264	0.202
543	0.032
546	0.089
148	0.365
152	0.022
योग . .	1.277

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.1075-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—रंगौली
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.873 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.655
3	0.218
योग . .	0.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.1077-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—बारी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.050 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
212	0.050
योग . .	0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.1079-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—कोटर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —13.90 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4118	0.004
4623	0.032
4315	0.016
4317	0.004
4322	0.125
4279	0.008
4281	0.073
4360	0.004
3262	2.159
4640/3	0.400
3153	0.248
3154	0.204
3155	0.427
3158	0.180
3156	0.400
3157	0.450
3170	0.140
3173	0.250
3160	0.050
3131/1	0.291
3131/2	0.291
3131/3क	0.147
3131/3ख	0.140
3130/2	0.816
3738	0.169
3340	0.450
3341	0.247
3344	0.117
3342	0.170
3343	0.045
3345	0.231
3346	0.295
3347	0.526
3361	0.440
3328	0.158

(1)	(2)
3395	0.470
3571	0.770
3502	0.090
3503	0.045
3574	0.020
3575	0.016
3576	0.057
3582	0.280
3583	0.045
3151	0.450
4115	0.012
4070	0.150
4069	0.050
3585	0.097
3584	0.085
4079	0.006
4095	0.130
4096	0.020
4098	0.012
4092	0.016
1158	0.030
1159	0.156
1677	0.080
1676	0.100
3921	0.101
3927	0.120
3939	0.200
3940	0.006
4097	0.082
3263	0.497
योग . .	13.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर एवं उसकी शाखा और उप शाखा नहरों के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन-प्रकरण क्र. 14-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—दिनकरपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल— (अ) 646.56 व.मी. आबादी भूमि (11 मकान)
(ब) 635.24 व. मी. शासकीय भूमि (10 मकान)
कुल क्षेत्रफल 1281.80 व.मी. (कुल 21 मकान)

खसरा नम्बर (1)	मकान नम्बर (2)	रकबा वर्ग मीटर में (3)
आबादी भूमि-269	E-1	49.95
आबादी भूमि-113	E-6/1	44.03
—''—	E-6/2	71.70
—''—	E-6/3	27.22
—''—	E-7/1	116.77
—''—	E-7/2	69.65
—''—	E-7/3	40.90
—''—	E-7/4	111.25
आबादी भूमि-269	E-21/3	40.87
—''—	E-24/4	44.22
—''—	E-26/4	27.00
योग . .	11	646.56
शासकीय भूमि -276	26/3	31.16
—''—	24/3	37.21
—''—	19/2	64.44
—''—	25/5	15.35

(1)	(2)	(3)
शासकीय भूमि -125	20/1	86.13
शासकीय भूमि -125	20/2	47.02
शासकीय भूमि -271/1	13	116.23
—''—	E-3	78.00
—''—	32/2	88.86
—''—	32/1	70.84
योग . .	10	635.24
कुल योग . .	21	1281.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्र. 15-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खंडवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—भुरलाय
(घ) लगभग क्षेत्रफल— (अ) 305.37 व.मी. आबादी भूमि (4 मकान)
(ब) 815.86 व. मी. शासकीय भूमि (9 मकान)
(स) 1288.95 व.मी. लगानी भूमि (कुल 8 मकान)
कुल क्षेत्रफल 2400.18 व.मी. (कुल 21 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)
आबादी भूमि-81	E-2	101.88
आबादी भूमि -11	E-3/1	33.61
आबादी भूमि -11	E-3/2	148.13
—''—	E-4	21.75
योग . .	4	305.37
शासकीय भूमि -103	44	333.75
शासकीय भूमि -141	49/4	33.99
—''—	21/4	167.22
शासकीय भूमि -103	34/2	30.80
—''—	36/3	25.57
—''—	39/4	80.04
—''—	22/2	13.56
—''—	61/3	101.31
—''—	61/4	29.61
योग . .	9	815.86
लगानी भूमि -87	19/2	60.32
—''—	E-6	106.22
लगानी भूमि-78	37/1	252.30
—''—	37/2	275.01
—''—	37/3	233.81
—''—	37/5	125.81
लगानी भूमि -91	9	93.84
लगानी भूमि -144/7	E-5	131.64
योग . .	8	1288.95
महा योग . .	21	2400.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्र. 16-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की अनुसूची के पद (2) में

उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खंडवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—सिंधखाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल— (अ) 284.194 व.मी. आबादी भूमि (2 मकान)

खसरा नम्बर (1)	मकान नम्बर (2)	रकबा वर्ग मीटर में (3)
आबादी भूमि -106	E-4	189.194
आबादी भूमि -100	E-5	95.00
योग . .	2	284.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्रकरण क्र. 17-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खंडवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—डाबरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल— (स) 872.75 व.मी. लगानी भूमि (10 मकान)

खसरा नम्बर (1)	मकान नम्बर (2)	रकबा वर्ग मीटर में (3)
लगानी भूमि -64/6	E-1/1	258.18
—''—	E-1/2	85.62
—''—	E-1/3	43.23
—''—	E-1/4	27.95
लगानी भूमि -35	E-7/1	128.13
—''—	E-7/2	68.25
—''—	E-7/3	68.75
—''—	E-8/1	110.21
—''—	E-8/2	40.47
—''—	E-8/3	41.96
योग . .	10	872.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म. प्र. पा. ज. कं. लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि., खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—सिवरीयाँ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(अ) 471.95 व.मी. लगानी भूमि (06 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)
लगानी भूमि 85/2	5/3	86.89
—''—	5/4	126.22
लगानी भूमि 185/1	7/1	57.98
लगानी भूमि 185/2	7/2	75.250
—''—	7/3	68.46
—''—	7/4	57.15
योग . .	06	471.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—जलकुँआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(अ) 798.44 व.मी. आबादी भूमि, (10 मकान)

(ब) 1378.525 व.मी. शासकीय भूमि, (11 मकान)

(स) 1895.76 व.मी. लगानी भूमि, (14 मकान)

कुल क्षेत्रफल 4072.725 व.मी. (कुल 36 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)
आबादी भूमि-66	E-7	94.60
—''—	E-6	99.20
—''—	E-13/1	104.42
—''—	E-13/2	79.28
—''—	E-13/3	82.47
—''—	E-13/4	81.05
आबादी भूमि-97	E-8	80.00
आबादी भूमि-98	E-8	81.95
—''—	E-9	46.20
—''—	E-14/1	38.14
—''—	E-14/2	11.13
योग . .	10	798.44
शासकीय भूमि-128	29/1	118.00
—''—	29/2	104.49
शासकीय भूमि-154/1	70	40.00
—''—	49	114.75
शासकीय भूमि-33	63/1	414.00
—''—	54/2	176.67
शासकीय भूमि-154/1	E-4	170.00
—''— 108	22/1	100.00
—''—	22/2	29.00
—''—	22/3	23.87
—''—	22/4	87.745
योग . .	11	1378.525

(1)	(2)	(3)
लगानी भूमि-127/2	15	101.91
—"—	E-1	73.48
—"—	E-2/1	43.48
—"—	E-2/2	83.94
लगानी भूमि-153	38	87.29
लगानी भूमि-44/1	E-3/1	167.65
—"—	E-3/2	115.28
—"—	E-3/3	165.60
लगानी भूमि-95	E-11	276.67
लगानी भूमि-135	E-12	150.49
लगानी भूमि-141/2	E-5/3	50.31
—"—	E-5/1	37.12
—"—	E-5/2	54.02
लगानी भूमि-22	45	488.52
योग . .	14	1895.76
महायोग . .	35	4072.725

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—भगवानपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(अ) 305.12 व.मी. आबादी भूमि, (03 मकान)

(ब) 1465.06 व.मी. शासकीय भूमि, (19 मकान)

(स) 969.31 व.मी. लगानी भूमि, (18 मकान)

कुल क्षेत्रफल 1878.54 व.मी. (कुल 40 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)
आबादी भूमि-298	E-1	85.85
आबादी भूमि-264	E-2/1	140.43
—"—	E-2/2	78.84
योग . .	03	305.12
शासकीय भूमि-82	8/3	39.19
—"—	16/1	112.77
—"—	16/2	73.53
—"—	E-7/1	145.38
—"—	E-7/2	58.80
—"—	E-7/3	80.43
शासकीय भूमि-89	10/2A	21.52
—"—	10/2B	116.59
—"—	10/3	44.16
—"—	10/1	100.00
—"—	21	12.67
—"—	12/3	12.67
—"—	11/1	96.18
—"—	11/2	45.25
—"—	27/2	7.56
शासकीय भूमि-97	10/7	76.86
शासकीय भूमि-93	B-29	106.33
शासकीय भूमि-249	27/1	177.15
—"—	27/2	96.10
—"—	27/3	41.92
योग . .	19	1465.06
लगानी भूमि-104	13/1	21.19
—"—	13/2	31.90

(1)	(2)	(3)
लगानी भूमि-116	13/3	58.43
—"—	13/4	18.76
—"—	12/1	52.18
—"—	12/2	09.49
लगानी भूमि-111/1	14/1	53.56
—"—	14/2	26.70
—"—	14/3	38.02
लगानी भूमि-111/1	14/4	62.72
लगानी भूमि-134	50/3	35.31
लगानी भूमि-259	15/2	81.87
लगानी भूमि-118/1	E-12/1	192.64
—"—	E-12/2	52.70
लगानी भूमि-120	10/5	133.13
—"—	10/6	14.28
—"—	10/4	32.15
—"—	16	54.28
योग . .	18	969.31
महायोग . .	40	2739.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—धारकवाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(अ) 468.70 व.मी. शासकीय भूमि, (05 मकान)

(ब) 1228.473 व.मी. लगानी भूमि, (11 मकान)

कुल क्षेत्रफल 1697.173 व.मी. (कुल 16 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)
शासकीय भूमि-183	25/1	102.90
—"—	25/2	17.64
—"—	31/3	74.22
शासकीय भूमि-215	30	54.04
शासकीय भूमि-	E-9	219.90
योग . .	05	468.70
लगानी भूमि-180	26/2	165.88
शासकीय भूमि-167	19/1	118.62
—"—	19/2	21.39
—"—	19/3	66.06
—"—	19/4	75.48
—"—	19/5	68.12
लगानी भूमि-97/2	13	135.19
—"—	12	103.16
लगानी भूमि-161/2	E-8	99.108
लगानी भूमि-161/1	E-10/1	290.405
—"—	E-10/2	85.06
योग . .	11	1228.473
महायोग . .	16	1697.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के

पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—देवला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(अ) 194.67 व.मी. आबादी भूमि, (03 मकान)

(ब) 606.62 व.मी. शासकीय भूमि, (05 मकान)

(स) 1077.25 व.मी. लगानी भूमि, (12 मकान)

कुल क्षेत्रफल 1878.54 व.मी. (कुल 20 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)
आबादी भूमि-171	E-1	74.67
—"—	E-9	70.00
—"—	E-10	50.00
योग . .	03	194.67
शासकीय भूमि-202	35/5	137.860
शासकीय भूमि-117	31/2	91.00
—"—	37	59.92
शासकीय भूमि-148	E-8	250.75
शासकीय भूमि-117	E-11	67.09
योग . .	05	606.62
लगानी भूमि-238	O.L. 1/1	72.52
—"—	O.L. 1/2	53.28
—"—	O.L. 1/3	40.35
लगानी भूमि-242	O.L. 5/3	33.32
लगानी भूमि-239	O.L. 11/1	81.40
लगानी भूमि-240	O.L. 11/2	36.45
—"—	O.L. 11/3	122.98
लगानी भूमि-245	O.L. 28	39.37
लगानी भूमि-233	O.L. 29/1	209.87
—"—	O.L. 29/2	117.24
लगानी भूमि-243	O.L.30	191.87
लगानी भूमि-237	O.L.35	78.60
योग . .	12	1077.25
महायोग . .	20	1878.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—दोंगालिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—(अ) 3473.82 व.मी. आबादी भूमि, (12 मकान)

(ब) 1389.65 व.मी. शासकीय भूमि, (08 मकान)

(स) 406.16 व.मी. लगानी भूमि, (02 मकान)

कुल क्षेत्रफल 4269.63 व.मी. (कुल 22 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)
आबादी भूमि-94	E-1	53.00

(1)	(2)	(3)
आबादी भूमि-94	E-2/1	92.40
—"—	E-2/2	86.00
—"—	E-2/3	126.72
—"—	E-2/5	106.00
आबादी भूमि-110	E-4/1	465.50
—"—	E-4/2	52.00
—"—	E-4/3	132.00
आबादी भूमि-136	E-8	200.40
—"—	E-12	21.00
—"—	E-11	338.80
आबादी भूमि-137	E-10	800.00
योग . .	12	3473.82
शासकीय भूमि-134	19/2	131.60
शासकीय भूमि-99	51/1	53.95
—"—	51/2	38.18
—"—	51/3	54.60
—"—	51/4	247.00
शासकीय भूमि-167	26/3	310.62
—"—	48A	75.04
शासकीय भूमि-90	E-2/4	478.66
योग . .	08	1389.65
लगानी भूमि-105	13/2	205.25
—"—	55/2	200.91
योग . .	02	406.16
महायोग . .	22	4269.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित मकानों की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित मकानों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—सातमोहनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(अ) 181.74 व.मी. आबादी भूमि, (02 मकान)

कुल क्षेत्रफल 181.74 व.मी. (कुल 02 मकान)

खसरा नम्बर	मकान नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)
आबादी भूमि-117	E-3/1	91.02
—"—	E-3/2	90.72
	योग . .	181.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल)-एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अक्टूबर 2010

क्र. 8513-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-रगड़ा प.ह.नं. 34, ब.नं. 244 रा.नि.मंडल-चॉद सर्किल

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.353 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
109/1	0.058
109/2	0.054
109/3	0.015
140/1	0.010
168/1	0.010
184	0.046
185/3	0.010
188/1	0.060
188/2	0.090
योग . .	0.353 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दिलावार मोहगॉव जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगॉव परियोजना संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगॉव परियोजना नहर उप संभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा मुख्यालय छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8514-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है, इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 (1) एवं 17 (4) के उपबंध लागू होते है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—सौसर

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सेमरा प.ह.नं. 20, ब.नं. 406 रा.नि.मंडल-सौसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.400 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
42/1	0.800
42/2	0.800
10/1	0.800
योग . .	02.400 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ढोकडोह जलाशय के बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग सौसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8515-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खामी प.ह.नं. 57, ब.नं. 46 रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—71.818 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
216/3, 218/2	1.829
211	0.514
216/6	0.478
216/7	0.101
216/8	1.171
218/4	0.100
141/15	0.486
146	0.162
141/8	2.322
137/3	0.360
208/2	1.173
216/1, 218/1	1.172
226	0.202
120/3	1.062
126	0.242
127	2.028
152	1.558
153/1	2.194
154/1	4.047
114/4	0.051
114/6	0.051
156	0.267
114/7	0.200
115	0.219
116/2	0.171
132/1	0.559
133	0.328
132/2	1.592
141/12	0.051
132/3	0.405
131	0.069
132/4	0.431
153/3, 154/3	0.546
128	1.635
118/3	1.123
114/5	0.051
142, 143/1	1.384
141/13, 141/24	0.385
153/2, 154/2	2.772
120/4	1.062
141/3	0.777
216/4, 218/3	1.563
207/2	0.607
207/3	0.020
157/1	1.700
214	0.555
215	0.308
129/1	0.817
129/2	0.898
129/3	1.238
129/4	1.279
121/7	0.609
120/2, 121/4	2.381
149	1.319
135/1	0.101
134/4	0.500
120/1	2.125
118/5	0.345
114/3	0.216
118/2	1.477
134/3	0.303
118/4	0.938
114/1	0.432
119	0.340
141/10	0.189
141/7	0.332
209/1	2.664
209/2	1.781
151	0.692

(1)	(2)
157/2	6.211
207/5	0.303
208/1	0.215
157/3	1.457
157/4	0.882
114/2, 116/1	0.303
229/1, 230/1, 232/1	0.809
216/2	0.478
230/2, 232/3	0.101
योग . .	71.818

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खामी बड़ेला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8516-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पीपरपानी, प.ह.नं. 16/40, ब.नं. 244 रा.नि.मंडल-नान्दनवाड़ी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.580 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉं

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
317/1	0.093
316/1	0.046
316/2	0.209
316/3	0.116
316/4	0.116
योग . .	0.580

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिछुआसानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, उप-संभाग, पांढुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8517-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—पांढुर्णा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चाटवा, प.ह.नं. 23, ब.नं. 123 रा.नि.मंडल-नान्दनवाड़ी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.841 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
218/1	0.186
221/1	0.107
218/2	0.232
221/2	0.142
219/1	0.130
219/3	0.162
222/2	0.186
222/3	0.116
226/2	0.116
226/1	0.418
247	0.046
योग . .	01.841

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिछुआसानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, उप-संभाग, पांढुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8518-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—सौंसर

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जामलापानी, प.ह.नं. 155, ब.नं. 18 रा.नि.मंडल-सौंसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.339 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियॉ

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
126/2	0.159
125	0.180
योग . .	0.339

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जामलापानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप-संभाग, सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8519-प्रस्तु-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बिनेकी, प.ह.नं. 58, ब.नं.209 रा.नि.मंडल अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.588 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
685/5	0.112
685/7	0.081
686/4	0.216
687/4	0.086
685/4	0.101
685/6	0.061
686/3	0.217
687/3	0.085
685/9	0.405
685/1	0.040
686/1	0.441
687/1	0.088
685/3	0.215
685/8	0.081
686/2	0.465
687/2	0.065
685/2	0.829
योग . .	03.588

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—खामी बडेला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, उप-संभाग-अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8520-प्रस्तु-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—मोहखेड़

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खेड़ी, प.ह.नं. 109, ब.नं. 52 रा.नि.मंडल इकलबिहरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.412 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
10/1	0.024
10/3	0.043
13	0.067

(1)	(2)
21/2	0.024
30/3	0.062
207/2	0.192
योग . .	0.412

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—सारोठ जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुविभाग क्रमांक-1, पांढुर्णा मुख्यालय छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8521-प्रस्तु-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 अर्जेन्सी क्लाज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है, इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17(1) एवं 17(4) के उपबंध लागू होते हैं:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—परासिया

(ग) नगर/ग्राम—सिरगोरा, प.ह.नं. 17, ब.नं. 566 रा.नि.मंडल परासिया.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.716 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
224	0.495
226	0.219
225/1	0.060
225/2	0.050
223/1	0.225
223/2	0.150
223/3	0.150
222	0.101
220	0.101
221	0.032
243/1	0.018
243/2	0.085
योग . .	01.716

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—खजरी, मोठार, छितरी, सिरगोरा, शिवपुरी मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग- छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग- छिन्दवाड़ा, के उप-संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

क्र. 1570-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक 28-अ-82-09-10.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम मलगांव, प. ह. नं. 36, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 07 कुल क्षेत्रफल 0.156 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम मलगांव

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	किशोर, दशरथ, देवराम, राधेश्याम, ध्यानसिंह नाना, शांताबाई, बसंतीबाई, कलाबाई पिता शंकर राजपूत, नि. देह.	5/1	0.020	मकान-1, नीबू-1
2	भुवानीराम पिता गंगाराम जाति राजपूत नि.देह.	5/2	0.016	मकान-1
3	हुकुमसिंह, भंवरसिंह, कंचनबाई, बस्करबाई पिता बाबू, मंगतीबाई बेवा बाबु राजपूत, सा. देह.	5/3	0.020	मकान-4
4	भुवानेसिंह, अनोकसिंह, सुमनबाई, धनकीरबाई, रेशमबाई, कुसुमबाई पिता नहारसिंह, मंगतीबाई बेवा नहारसिंह, शेरसिंह, लाड़की,	7	0.032	इमली-3, बैर-2, नीम-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	श्याणी, गुलाब, राजू पिता जोगीलाल, मोतीराम पिता गणपत राजपूत, सा.देह.			
5	सुरेश, लखन, सुभाषचंद्र पिता चंदर अ. पा. कर्ता छंटूबाई, छंटूबाई बेवा चंदर, जाति राजपूत, नि.देह.	8/1	0.020	टीन शेड-1, बैर-1
6	तुलसीराम, चेनलाल पिता राजाराम भारूड़, नि. देह.	8/2	0.040	इमली-1, नीम-1
7	गंगाबाई बेवा मांग्या, रेवाराम आनंदराम, मुन्ना, कलाबाई, सुमनबाई, नसरीबाई, बसुबाई पिता मांग्या बलाई, नि.देह.	9	0.008	मकान-1
	योग	7	0.156	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मलगांव की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम मलगांव की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.156 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन

अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1 कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2 भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3 संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4 संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5 कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6 भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7 अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8 भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

9 भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

10 कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11 यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12 भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13 शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14 पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

15 कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16 यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17 भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी, खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **छोटेखान**
पता : म. नं. 15, टवड़ी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

क्र. 1571-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक-29-अ-82-09-10.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रुप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगनोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम तेल्यांव, प. ह. नं. 36, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 14 कुल क्षेत्रफल 10.796 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम तेल्यांव

अनु.क्र.	नाम भूमि स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	छगन, गड़बड़, नन्नू, रेवाबाई, सुमनबाई पिता छितु, ताराचंद पिता नराण कहार, निवासी सा. देह.	24	0.243	–
2	पारुबाई बेवा हिरालाल, महेश, मोहन, आशाबाई पिता हिरालाल, गजानंद, मंगत्या पिता अर्जुन, मांगीबाई बेवा अर्जुन नावड़ा, नि. सा. देह.	25/3	2.023	नीम-5
3	मयाराम, टेमु पिता बिसन भील, नि. सा. देह	28/1	2.023	नीम-15
4	रामसिंग पिता रूपा नावड़ा, सा. देह	30	1.667	नीम-1, नीम पौधा-4
5	भगवान पिता सखाराम नावड़ा, नि. सा. देह	33/1/2	0.360	नीम-2
6	नथीबाई बेवा छितू, वजीर, बशीर, गफुर, हाजराबाई, आमनाबाई, सकिनाबाई पिता छितु पिंजारा, नि. ससाबरड़	46	0.004	–
7	आशाराम पिता करसन हरिजन नि. ससाबरड़	48	0.049	आम-1
8	नथीबाई बेवा छितू, वजीर, बशीर, गफुर, पिता छितू, हाजराबाई, आमनाबाई, सकिनाबाई पिता छितु, प्यारा पिता रोशन, बसीरबाई बेवा बहादर, अजमत, सत्तार, सरदार पिता बहादर, नुरीबाई, भूरीबाई, अल्लारखीबाई पिता बहादर, अब्बास पिता कासम, गुलशेर पिता मांग्या, हबीबखां पिता गुलाब, हाजराबाई बेवा गुलाब पिंजारा, नि. ससाबरड़.	49	0.024	आम-1
9	नत्थू पिता दरियाव, अनु पिता बाल्या, सिगदार, रामा पिता टंटू नहाल, नि. ससाबरड़	50	0.024	आम-2
10	नथीबाई बेवा बोखार, सलुबाई, सुशीलाबाई, राजकुंवरबाई, बसंतीबाई पिता बोखार हरिजन नि. भट्याण बुजुर्ग.	79/1	2.023	नीम-5
11	आशाराम पिता करसन हरिजन, नि. ससाबरड़.	81/1	1.214	–
12	काशीराम, आशाराम पिता करसन बलाई, नि. ससाबरड़.	86/3	0.162	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	रामेश्वर पिता शोभाराम तेली नि. भट्याण बुजुर्ग.	90/5	0.350	आम-1, नीम-2
14	बाबुसिंह पिता गुलाबसिंह राजपूत नि. ससाबरड़	91/2	0.630	आम-1, नीम-1
	योग	14	10.796	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टी कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-8-2010-सात-2-ए भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम तेल्यांव की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम तेल्यांव की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 10.796 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी, खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **छोटेखान**
पता : 15, टवड़ी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

खरगोन, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध पत्र

क्र. 1573-भू-अर्जन-10-राजस्व प्रकरण क्रमांक 30-अ-82-09-10.—यह अनुबंध पत्र प्रथम पक्ष के रुप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., अभयांचल परिसर, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम नांदिया प. ह. नं. 35, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या नं. 02 कुल क्षेत्रफल 0.770 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर

याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट–1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम नांदिया

अनु.क्र.	नाम भूमि–स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सुरेन्द्रसिंह पिता भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी अमलाथा भू. स्वा.	6	0.709	नीम–1, कुआ–1
2	तुकाराम पिता पूंजन, जाति भारुड़, निवासी नहारखेड़ी भू. स्वा.	25	0.061	ट्यूबवेल–1
	योग	2	0.770	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू–अर्जन आवेदन–पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू–अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ–12–08/2010/सात/–2ए, भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू–अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध–पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू–अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदाय करेगा.

(i) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम नांदिया की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू–अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम नांदिया की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.770 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू–अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **छोटेखान**
पता : म. नं. 15, टवडी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

खरगोन दिनांक 1 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

क्र. 1569-भू-अर्जन-10-रा.प्र.क्र. 31-अ-82-09-10.—यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभ्यांचल परिसर मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम लालपुरा प.ह.नं. 34, तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संख्या 07 कुल क्षेत्रफल 0.720 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम लालपुरा

अनु.क्र.	नाम भूमि-स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तोताराम पिता दशरथ जाति कहार निवासी लेपा	5	0.202	आम-1, नीम-1
2	लीलाबाई बेवा दरियाव, गजानंद पिता दरियाव, भागुबाई, कुसुमबाई, मंजूबाई पिता दरियाव, अज्ञान प्रेमलाल, राकेश, कालू, रेखा पिता दरियाव पालनकर्ता मॉ लीलाबाई जाति नावड़ा निवासी लेपा.	9/3	0.050	नीम-2
3	श्यामसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी अमलाथा	10	0.274	नीम-4, गोंदी-1
4	बल्लू, रमेंश पिता मोजा जाति बलाई निवासी लेपा	12	0.004	नाम-1
5	मांगीबाई बेवा दयाराम, नवल, नानुराम पिता दयाराम, बनुबाई, रमुबाई, दमुबाई, अनिताबाई, पिता दयाराम जाति नावड़ा निवासी लेपा.	19/4	0.049	नर्मदा पाईपलाईन-1, बबुल-1
6	नारायण पिता शोभाराम जाति नावड़ा निवासी लेपा	19/6	0.061	कबीट-1, बबुल-1
7	राघोराम पिता चंपालाल जाति भारूड निवासी लेपा	21/2	0.080	नीम-4
	योग . .	7	0.720	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-08/2010/सात/-2ए, भोपाल, दिनांक 10 मई 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा.

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम लालपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 अप्रैल 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद, जिला खरगोन के ग्राम लालपुरा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.720 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचानाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जावेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और नया ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मान कर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20 स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **छोटेखान**
पता : 15, टवडी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

खरगोन दिनांक 1 अक्टूबर 2010

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

क्र. 1572-भू-अर्जन-10-रा.प्र.क्र. 32-अ-82-09-10.—यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''राज्यपाल'' कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है. (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''कम्पनी'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यत्यार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 30 सितम्बर 2010 को सम्पादित किया जा रहा है—

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध निर्माण के कारण आंशिक डूब से प्रभावित होने से ग्राम कुण्डा प.ह.नं. 17, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नं. संस्था 05 कुल क्षेत्रफल 0.930 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक W.P./1359/09, दिनांक 6 मई 2009 में पारित आदेश के पालन में पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट 1 पर अंकित किया गया है.

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टी कर ली है कि उक्त जल विद्युत् परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. एफ-12-09/2010/सात/-2ए, भोपाल, दिनांक 3 जून 2010 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

(क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.

(ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदाय करेगा.

(i) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम कुण्डा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 20 मई 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर जिला खरगोन के ग्राम कुण्डा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 0.930 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.

3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.

परिशिष्ट-1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम कुण्डा

अनु.क्र.	नाम भूमि-स्वामी/पिता का नाम एवं जाति	खसरा नंबर	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में)	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रमेश पिता रामा, कुलमी, सा. सुलगांव	24/2	0.041	-
2	लक्ष्मण, डालूराम पिता औंकार कुलमी, सा. सुलगांव	29/2	0.048	-
3	लक्ष्मण, डालूराम पिता औंकार कुलमी, सा. सुलगांव	30		नीम-2
4	लक्ष्मण, डालूराम पिता औंकार कुलमी, सा. सुलगांव	31	0.809	नीम-1
5	लक्ष्मण, डालूराम पिता औंकार कुलमी, सा. सुलगांव	32/1/1ख	0.032	-
---	योग . .	5	0.930	

5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.

6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.

7. अर्जित की गईं निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.

9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

13. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्राप्त करना होंगे कि, पर्यावरण, जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा, और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.

18. भूमि जिस पर प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.

19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

(ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.

(iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चयुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.

(iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.

(v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र. 1
हस्ता./-
नाम : **डॉ. ममता खेड़े**
पता : न्यू आफिसर्स कालोनी,
खरगोन.

साक्षी क्र. 2
हस्ता./-
नाम : **छोटेखान**
पता : 15, टवडी मोहल्ला,
खरगोन.

पक्ष क्र. 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(केदार शर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्र. 2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.